कार्यालय द्वितीय अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 29 / 2019

मैसर्स कैमिकल इण्डिया

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर

द्वितीय अपील प्राधिकारी – लोकेश विजयवर्गीय (प्रबन्ध निदेशक)

उपस्थित –

3. अपीलार्थी – श्री धीरज पाठक,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान द्वितीय अपील द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मैसर्स कैमिकल इण्डिया ने दिनांक 27.08.2019 को जरिये श्री धीरज पाठक प्रस्तुत कर प्रथम अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 21.06. 2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 383 / 2018–19 दिनांक 06.02.2019 को जारी कर मेडिकल कॉलेज भरतपुर एवं भीलवाडा के लिए मेडिकल इक्यूपमेन्ट (ऑटोमेटिक ब्लड कल्चर सिस्टम) खरीदने के लिए योग्य एवं अनुभवी उत्पादनकर्ताओं / अधिकृत आपूर्ति कर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। दो निविदाकर्त्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताऐ पूर्ण कर निविदा अपलोड की गई। तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर ही अपीलान्ट की तकनीकी निविदा को निविदा में वर्णित शर्तों की पूर्ण पूर्ति नही करने के आधार तकनीकी मूल्यांकन समिति जो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर गठित की गई थी, द्वारा दिनांक 28.02.2019 को निरस्त किया गया जिसे दिंनाक 27.03.2019 को आर.एस.आर.डी.सी. के पोर्टल पर अपलोड किया गया। अपीलान्ट द्वारा तकनीकी बिड जो डाउनलोंड की गई उसे प्रथम दृष्टि में ही तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा में वर्णित 38 शर्तो में से 3 शर्ते पूर्ण नही करने के आधार तकनीकी बिड को असफल माना गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एंवं तकनीकी समिति की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2019 जो दिंनाक 27.03.2019 को अपलोड की गई को निरस्त करांने की राहत के लिए द्वितीय अपील पेश की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38(4) मे प्रदत्त अपील की समयावधि में पेश नही करने एवं अपील में प्रथम अपीलेट अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.06.2019 को निरस्त करने का उल्लेख नही किया गया है, ना ही निर्णय को अपील के साथ प्रस्तुत है, के आधार पर परियोजना

निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, द्वारा द्वितीय अपील को निरस्त करने का कथन दिनांक 19.08.2019 को किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया अपीलान्ट को दिनांक 27.08.2019 तक संशोधन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया।

दिनांक 27.08.2019 को अपीलान्ट द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्षकारान को दिनांक 06.09.2019 को सुना गया। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा दिये गये कारणों से सतुंष्टी पर अपील को अन्दर सीमा मॉगते हुये अपीलान्ट एवं परियोजना निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम,जयपुर, अपील को मेरिट पर सुना गया।

दोनो को सुनने के उपरान्त यह आवश्यक समझा गया कि निर्णय पारित करने से पूर्व मेडिकल ईक्यूपमेन्ट के तुलनात्मक योग्यता के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्हे मेडिकल ईक्यूपमेन्ट की पूर्ण जानकारी है, जिन्होने अपीलान्ट की मेडिकल ईक्यूपमेन्ट को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर उपयोगी नही माना गया को सुना जाना न्यायिक दृष्टि से अतिआवश्यक समझते हुये उन्हे एवं अपीलान्ट को दिनांक 10.10.2019 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.10.2019 को अपीलान्ट उपस्थित नही हुयें। तकनीकी समिति के सदस्य डां. भास्कर ठाकुरियॉ, डां. जितेन्द्र तिवाडी, एवं डां. रोहित सचदेव उपस्थित हुयें, उन्हे विस्तार से सुना गया। अपीलान्ट द्वारा जिन मेडिकल ईक्यूपमेन्ट सप्लाई के लिए निविदा अपलोड की गई थी, उन मेडिकल ईक्यूपमेन्ट को उपयुक्त क्यो नही पाया गया के सन्दर्भ में निम्नप्रकार कथन किया गया है। :–

1. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा बताया कि अपीलार्थी का यह कथन कि उपकरण की स्पेशिफिकेशन Tailor Made बनाई गई है यह गलत है क्योकि वैश्विक बाजार में उक्त स्पेशिफिकेशन की 2–3 अन्य कम्पनी की मशीन भी उपलब्ध है। जो कि Speafications Tailor Made ना होने की पुष्टि करती है।
2. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा अपीलान्ट की मशीन का डेमोस्ट्रेशन लिया गया था किन्तु मशीन द्वारा Speafications के अनुसार डेमो देने में असफल रही जिसके कारण ही मशीन को अस्वीकृत किया गया था। मशीन Speafications में वर्णित बिन्दु संख्या 1 के अनुसार All Clinical Samples के लिए उपयुक्त नही थी जो कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण बिन्दु था।
3. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा बताया कि अपीलान्ट द्वारा डेमों की गई मशीन में Yeast, Fungle, Getection Detection feature उपलब्ध नही था जो कि अस्वीकृत किया गया था। सफल आवेदक की मशीन में यह feature उपलब्ध है।
4. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा विशेंषज्ञ डां. की टीम ने बताया कि अपीलान्ट का उक्त उपकरण मेडिकल कॉलेज की स्थिति एवं आवश्यकताओं के मद्देनजर उपयुक्त नही है। मरीजों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार सफल बोलीदाता का उपकरण सर्वथा उपयुक्त है साथ ही बताया गया कि सफल AIIMS, SMS, Jaipur आदि में सही सेवाओं के साथ स्वीकार्य किया गया है। अतः अपीलान्ट का उपकरण तकनीकी कमेटी द्वारा अस्वीकृत करना सही निर्णय है।

MR

उभय पक्षकारान एवं तकनीकी समिति के सदस्य डां. भास्कर ठाकुरियॉ, डां. जितेन्द्र तिवाडी एवं डां. रोहित सचदेव को सुना गया एवं अपील/प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। तकनीकी मूल्याकन समिति के सदस्य द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में दर्शित सभी तीनों कमियों के बारे में विस्तार से बताया गया, अपीलार्थी फर्म मेडिकल ईक्यूपमेन्ट तुलनात्मक रूप से सफल निविदाकर्ता फर्म के मेडिकल ईक्यूपमेन्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नही करते है। राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38 के अनुसार उपापन सस्थां को कोई निर्णय, के विरूद्व चुनौती अधिनियम या उसके अधिन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबन्धों का उल्लग्न किया गया हो, के आधार पर ही दी जा सकती है, जबकि सम्बन्धित अपील को सुनने के उपरान्त ऐसा नही पाया गया कि तकनीकी मूल्याकंन समिति एवं उपापन सस्थां द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंग्न किया गया हो, ना ही प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 में कोई त्रृटि पाई गई है।

अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.10.2019 को पारित किया गया ।

द्वितीय अपील प्राधिकारी ,

18/10

(प्रबन्ध निदेशक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।

Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(29)/RTPP/19/LC/ 21900-901 **Date:-** 18-10-19

1- . M/s Chemicals India , 27 Mahadev Nager, Near Nanadpuri, Hawa Sadak , 22 Godaam, Jaipur., 302019 .
2. Project Director Unit- Electric – I, Jaipur, RSRDC .

विषय :— राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष धारा 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2019 की प्रति (संलग्न) प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— निर्णय की प्रति।

भवदीय,

(सुधीर कुमार दीक्षित)
विधि सलाहकार

Copy to Sh. Lalit

कार्यालय द्वितीय अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 29/2019

मैसर्स कैमिकल इण्डिया

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर

द्वितीय अपील प्राधिकारी – लोकेश विजयवर्गीय (प्रबन्ध निदेशक)

उपस्थित –

3. अपीलार्थी – श्री धीरज पाठक,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान द्वितीय अपील द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मैसर्स कैमिकल इण्डिया ने दिनांक 27.08.2019 को जरिये श्री धीरज पाठक प्रस्तुत कर प्रथम अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 21.06.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 383/2018–19 दिनांक 06.02.2019 को जारी कर मेडिकल कॉलेज भरतपुर एवं भीलवाडा के लिए मेडिकल इक्यूपमेन्ट (ऑटोमेटिक ब्लड कल्चर सिस्टम) खरीदने के लिए योग्य एवं अनुभवी उत्पादनकर्ताओं/अधिकृत आपूर्ति कर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। दो निविदाकर्त्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताऐ पूर्ण कर निविदा अपलोड की गई। तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर ही अपीलान्ट की तकनीकी निविदा को निविदा में वर्णित शर्तों की पूर्ण पूर्ति नही करने के आधार तकनीकी मूल्यांकन समिति जो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर गठित की गई थी, द्वारा दिनांक 28.02.2019 को निरस्त किया गया जिसे दिंनाक 27.03.2019 को आर.एस.आर.डी.सी. के पोर्टल पर अपलोड किया गया। अपीलान्ट द्वारा तकनीकी बिड जो डाउनलोंड की गई उसे प्रथम दृष्टि में ही तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा में वर्णित 38 शर्तो में से 3 शर्ते पूर्ण नही करने के आधार तकनीकी बिड को असफल माना गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं तकनीकी समिति की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2019 जो दिंनाक 27.03.2019 को अपलोड की गई को निरस्त कराने की राहत के लिए द्वितीय अपील पेश की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38(4) मे प्रदत्त अपील की समयावधि में पेश नही करने एवं अपील में प्रथम अपीलेट अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.06.2019 को निरस्त करने का उल्लेख नही किया गया है, ना ही निर्णय को अपील के साथ प्रस्तुत है, के आधार पर परियोजना

निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, द्वारा द्वितीय अपील को निरस्त करने का कथन दिनांक 19.08.2019 को किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया अपीलान्ट को दिनांक 27.08.2019 तक संशोधन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया।

दिनांक 27.08.2019 को अपीलान्ट द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्षकारान को दिनाक 06.09.2019 को सुना गया। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा दिये गये कारणों से सतुंष्टी पर अपील को अन्दर सीमा मॉगते हुये अपीलान्ट एवं परियोजना निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम,जयपुर, अपील को मेरिट पर सुना गया।

दोनो को सुनने के उपरान्त यह आवश्यक समझा गया कि निर्णय पारित करने से पूर्व मेडिकल ईक्यूपमेन्ट के तुलनात्मक योग्यता के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्हे मेडिकल ईक्यूपमेन्ट की पूर्ण जानकारी है, जिन्होने अपीलान्ट की मेडिकल ईक्यूपमेन्ट को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर उपयोगी नही माना गया को सुना जाना न्यायिक दृष्टि से अतिआवश्यक समझते हुये उन्हे एवं अपीलान्ट को दिनांक 10.10.2019 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.10.2019 को अपीलान्ट उपस्थित नही हुयें। तकनीकी समिति के सदस्य डां. भास्कर ठाकुरियॉ, डां. जितेन्द्र तिवाडी, एवं डां. रोहित सचदेव उपस्थित हुयें, उन्हे विस्तार से सुना गया। अपीलान्ट द्वारा जिन मेडिकल ईक्यूपमेन्ट सप्लाई के लिए निविदा अपलोड की गई थी, उन मेडिकल ईक्यूपमेन्ट को उपयुक्त क्यो नही पाया गया के सन्दर्भ में निम्नप्रकार कथन किया गया है। :–

1. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा बताया कि अपीलार्थी का यह कथन कि उपकरण की स्पेशिफिकेशन Tailor Made बनाई गई है यह गलत है क्योकि वैश्विक बाजार में उक्त स्पेशिफिकेशन की 2–3 अन्य कम्पनी की मशीन भी उपलब्ध है। जो कि Speafications Tailor Made ना होने की पुष्टि करती है।
2. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा अपीलान्ट की मशीन का डेमोस्ट्रेशन लिया गया था किन्तु मशीन द्वारा Speafications के अनुसार डेमो देने में असफल रही जिसके कारण ही मशीन को अस्वीकृत किया गया था। मशीन Speafications में वर्णित बिन्दु संख्या 1 के अनुसार All Clinical Samples के लिए उपयुक्त नही थी जो कि मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण बिन्दु था।
3. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा बताया कि अपीलान्ट द्वारा डेमो की गई मशीन में Yeast, Fungle, Getection Detection feature उपलब्ध नही था जो कि अस्वीकृत किया गया था। सफल आवेदक की मशीन में यह feature उपलब्ध है।
4. तकनीकी समिति के डां. सदस्यों के द्वारा विशेंषज्ञ डां. की टीम ने बताया कि अपीलान्ट का उक्त उपकरण मेडिकल कॉलेज की स्थिति एवं आवश्यकताओं के मद्देनजर उपयुक्त नही है। मरीजों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार सफल बोलीदाता का उपकरण सर्वथा उपयुक्त है साथ ही बताया गया कि सफल AIIMS, SMS, Jaipur आदि में सही सेवाओं के साथ स्वीकार्य किया गया है। अतः अपीलान्ट का उपकरण तकनीकी कमेटी द्वारा अस्वीकृत करना सही निर्णय है।

उभय पक्षकारान एवं तकनीकी समिति के सदस्य डां. भास्कर ठाकुरियॉ, डां. जितेन्द्र तिवाडी एवं डां. रोहित सचदेव को सुना गया एवं अपील/प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। तकनीकी मूल्याकन समिति के सदस्य द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में दर्शित सभी तीनों कमियों के बारे में विस्तार से बताया गया, अपीलार्थी फर्म मेडिकल ईक्यूपमेन्ट तुलनात्मक रूप से सफल निविदाकर्ता फर्म के मेडिकल ईक्यूपमेन्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नही करते है। राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38 के अनुसार उपापन सस्थां को कोई निर्णय, के विरूद्व चुनौती अधिनियम या उसके अधिन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबन्धों का उल्लग्न किया गया हो, के आधार पर ही दी जा सकती है, जबकि सम्बन्धित अपील को सुनने के उपरान्त ऐसा नही पाया गया कि तकनीकी मूल्याकंन समिति एवं उपापन सस्थां द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंग्न किया गया हो, ना ही प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 में कोई त्रृटि पाई गई है।

अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.10.2019 को पारित किया गया ।

द्वितीय अपील प्राधिकारी ,

18/10

(प्रबन्ध निदेशक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।